ग्राम पंचायत सन्हूं विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सन्हूं विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सन्हूं में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

1	कु0 शशि बाला	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्री पंकज कुमार	01.04.2022 से 26.09.2024
2	श्री बलविन्दर सिंह	29.09.2022 से 10.10.2022
3	श्री सतीश कुमार	11.10.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत सन्हूं के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	12.87
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.04
3	7.1	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.04

4	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान	3.57
5	10	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में अन्तर पाया जाना ।	9.26

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत सन्हूं विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.11.2024 से 22.11.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	02/2023	01/2023
2023–2024	03/2024	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत सन्हूं विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 466 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत सन्हूं विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत सन्हूं के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	287300.5	11881	7949	307130.5	19015	288115.5
2023.–24	288115.5	46232	8092	342439.5	54759	287680.5

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत सन्हूं के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	1488057.42	2885777	43536	4417370.42	3051051.51	1366318.91
2023–24	1366318.91	2133635.71	44819	3544773.62	2258043	1286730.62

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SJVN, SDP, MPLAD

A/c No. 50051832471	SF		287480.5
A/c No. 50055963034	5th State		288030.13
A/C No. 50055962734	VKVNY		151633
A/C No. 920010058876781	15th FC		799310.49
A/c No. 50055962869	SDP, SJVN, PS, VKVNY		38334
A/c No.50055962756	MPLAD		9423
cash in hand			200
		Total	**1574411.12**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			287680.5
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS		300
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		288030.13
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		38773
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		799310.49
Cash Book Balance on 31.03.2024	SJVN		2370
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		148524
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		9423
		Total	**1574411.12**
		diffrence	0

4.1 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 467 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलना:–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत SDP, SJVN, PS, VKVNY स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 50055962869 के0सी0सी0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खाताबार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 468 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः उक्त नियम प्रावधान एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. **निवेश :–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु नियमानुसार निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है। दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 2,87,680/–की राशि शेष थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. **अनुदान राशि ₹12.87 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 12,86,730/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट

है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा यथास्थिति कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.04 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अन्तर्गत प्रारूप 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण वश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का गृहकर ₹ 3,890/– वसूली हेतु शेष था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	2740	22300	25040	100	24940
2023–2024	24940	22400	47340	43450	3890

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 469 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेगें तथा बकाया राशि ₹3890 शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.1 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹ 4,450/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	3025.00
2	2023–24	1425.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 470 दिनांक 22.11.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹3.57 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹** 3,56,514/– की राशि का

अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 471 दिनांक 22.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यु प्राप्त नहीं किये गये है । अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹9.26 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे थे, उनका मैनुअल रोकड़ वही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹926428.00 की राशि का निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2024 को प्रिया साफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2500839.12
31.03.2024 को मैनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	15,74,411.12
अन्तर	₹	9,26,428.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 472 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 473 दिनांक 22.11.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः जीपीएस–06/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं । अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1	नि0 सामुदायिक भवन सन्हूं SDP
2	नि0 सामुदायिक भवन भलेड SJVN

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिससे सामग्री विशेष की उपलब्धता एवं वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता तथा उसके दुरूपयोग की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

806-810 का0 / प्र0 04 FEB 2026

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)452 / 2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत सन्हू, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0 / प्र0

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Sanhoon" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	30000	0	0	30000	29700	300
2	5 SFC	151708.42	346515	7612	505835.42	285496	220339.42
3	VKVNY	135636	149956	3869	289461	234246	55215
5	15TH FC	857668	682610	27621	1567899	635805.51	932093.49
7	SJVN	80029	200000	0	280029	277659	2370
9	SDP	224125	48696	4180	277001	130145	146856
11	MPLAD	8891	0	254	9145	0	9145
16	MNREGA	0	1458000	0	1458000	1458000	0
	Total Rs.	1488057.42	2885777	43536	4417370.42	3051051.51	1366318.91

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Sanhoon" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	300	0	0	300	0	300
2	5 SFC	220339.42	444935.71	9309	674584.13	386554	288030.13
3	VKVNY	55215	50000	4656	109871	71098	38773
5	15TH FC	932093.49	192700	28908	1153701.49	354391	799310.49
7	SJVN	2370	0	0	2370	0	2370
9	SDP	146856	0	1668	148524	0	148524
11	MPLAD	9145	0	278	9423	0	9423
16	MNREGA	0	1446000	0	1446000	1446000	0
	Total Rs.	1366318.91	2133635.71	44819	3544773.62	2258043	1286730.62

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC, SJVN, SDP, MPLAD

A/c No. 50051832471	KCCB Garh Jamula	SF	287480.5
A/c No. 50055963034	KCCB Garh Jamula	5th State	288030.13
A/C No. 50055962734	KCCB Garh Jamula	VKVNY	151633
A/C No. 920010058876781	Axis Bank Palampur	15th FC	799310.49
A/c No. 50055962869	KCCB Garh Jamula	SDP, SJVN, PS, VKVNY	38334
A/c No.50055962756	KCCB Garh Jamula	MPLAD	9423
cash in hand			200
		Total	1574411.12

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		287680.5
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	300
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	288030.13
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	38773
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	799310.49
Cash Book Balance on 31.03.2024	SJVN	2370
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	148524
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	9423
	Total	1574411.12
	diffrence	0

Checked

Sharma

सचिव
ग्राम पंचायत सन्हूँ
वि० ख० सुलह स्थित भेड़ू महादेव
तह० थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Financial Position of Own sources in r/o GP Sanhoon

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	287300.5	11881	7949	307130.5	19015	288115.5
2023-24	288115.5	46232	8092	342439.5	54759	287680.5

Checked

Sharma
सचिव
ग्राम पंचायत सन्हूँ
वि० ख० सुलह स्थित भेड़ू महादेव
तह० पु.जे., जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Sanhoon **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	2740	22300	25040	100	24940
2023-24	24940	22400	47340	43450	3890

Shashi Bala
Pradhan

Secretary
Gram Panchayat Sanhoon
Dev. Block Sulah at Bhedu Mahadev
Tehsil Thural (Kangra) H.P

परिशिष्ट -3

GRAM PANCHAYAT Sanhoon DEV.BLOCK SULAH 2022-23&2023-24

SR. NO.	HEAD	NAME OF WORK	BILL NO.	VENDOR NAME	BILL DATE	Vouchre No.&PAYMENT DATE	SAND (CFT)	AGGRIGATE(CFT)	BOULDER (CFT)	BRICKS(NO.)	GATKA	AMOUNT
1	MNREGA	0	0	0	0	1/0/1900	0	0	0	0	0	0
2	SDP	निर्माण सामुदायिक भवन संहूँ	87	सुनील कुमार 10.10.2020		48 and 09.01.2023	700CFt	200cft	250 cft			37150
3	SJVN	निर्माण सामुदायिक भवन भटेड स्थित संहूँ	120		10.03.2022	49 and 09.01.2023	300cft	400cft			200cft	28800
												0

2023-24

SR. NO.	HEAD	NAME OF WORK	BILL NO.	VENDOR NAME	BILL DATE	Vouchre No.&PAYMENT DATE	SAND (CFT)	AGGRIGATE(CFT)	BOULDER (CFT)	BRICKS(NO.)	GATKA	AMOUNT
1	MNREGA	निर्माण खेल मैदान व पंचवटी पार्क पथर पथर अंब फगूरता	131	Ayush Enterprises	15/12/2022	27/07/2023	190	350	0	0	400	31673.28
2	MNREGA	निर्माण कंक्रीट रोड से सनुह सड़क से सनूह शमशान घाट तक	109	Ayush Enterprises	4/7/2022	27/07/2023	0	900	0	0	0	29162.7
3	MNREGA	निर्माण कंक्रीट रोड से सनुह सड़क से सनूह शमशान घाट तक	110	Ayush Enterprises	6/7/2022	27/07/2023	750	0	0	0	0	30751.84
4	MNREGA	निर्माण कंक्रीट रोड से सनुह सड़क से सनूह शमशान घाट तक	111	Ayush Enterprises	7/7/2022	27/07/2023	0	900	0	0	0	28085.4
5	MNREGA	निर्माण लिंक रोड शमशान घाट से लेकर पनहर बावरी तक	129	Ayush Enterprises	25/11/2022	27/07/2023	150	600	0	0	0	25233.08
6	MNREGA	निर्माण completion लिंक रोड क्रशर् रोड से लेकर बदरटा तक	132	Ayush Enterprises	20/12/2022	27/07/2023	0	650	0	0	0	21061.95
7	MNREGA	निर्माण completion लिंक रोड क्रशर् रोड से लेकर बदरटा तक	133	Ayush Enterprises	26/12/2022	27/07/2023	650	650	0	0	0	46936.06
8	MNREGA	निर्माण कंक्रीट रोड अश्वनी के घर SC बस्ती तक	130	Ayush Enterprises	30/11/2022	27/07/2023	350	700	0	0	0	33520.72
9	MNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड अर्जुन के घर से धर्म चंद के घर तक	149	Ayush Enterprises	13/03/2023	27/07/2023	200	300	0	0	0	15876
10	MNREGA	निर्माण एम्बुलेंस रोड अर्जुन के घर से धर्म चंद के घर तक	150	Ayush Enterprises	15/03/2023	27/07/2023	300	500	0	0	0	28262.84
		कुल योग										356514

Shashi Bala
Pradhan

Secretary

Gram Panchayat Sanhoon
Dev. Block Sulah at Bhedu Mahadev
Tehsil Thural (Kangra) H P

16